सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:– 25/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :– 23.01.2025

1. रामसिंह किराड आयु 39 वर्ष पिता कल्याण जाति किराड निवासी रोणिजा
2. मोतीलाल किराड आयु 23 वर्ष पिता कल्याण जाति किराड निवासी रोणिजा
3. विरेन्द्र किराड आयु 26 वर्ष पिता कल्याण जाति किराड निवासी रोणिजा
4. दाखा आयु 65 वर्ष पत्नी कल्याण जाति किराड निवासी रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 30/06/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 347 पुराना 328 ख.सं. 1298/1885. 1727,1728,1729,1730,1730/1862 कुल किता 6 कुल रकबा 1.9182 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 81 पुराना 150 ख.स. 663 रकबा 0.0405 गे. मु.चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.0405 हैक्टेयर वाके ग्राम रोणिजा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. मे विस्थित है, उक्त भूमि वर्तमान मे प्रार्थीगण के पिता व पति कल्याण की सामलाती खातेदारी मे दर्ज है। उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम कैलाश पुत्र भूरा दर्ज हो रहा है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति का सही नाम कल्याण परन्तु राजस्व रिकार्ड की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम कैलाश गलत अंकित हो रहा है, जो उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र मे कल्याण ही अंकित है, तथा भूमि खाता संख्या 321 वाके ग्राम रोणिजा के राजस्व रिकार्ड मे भी प्रार्थीगण के पिता

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

व पति का नाम कल्याण ही दर्ज हो रहा है, और प्रार्थीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज में भी प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम कल्याण ही दर्ज है. लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमिया प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 से वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति का नाम कैलाश अंकित होने के कारण प्रार्थीगण के सामने अनेक प्रकार की दिक्कत आ रही है, तथा प्रार्थीगण उक्त भूमियो का अपने नाम फोती नामान्तरण नही खुलवा पा रहे है. इसलिये उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या लगायत 4 के पिता व पति का सही नाम कल्याण दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थी संख्या लगायत 4 के पिता व पति का देहान्त हो चुका है. मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम फोती नामान्तरण खुलनवाने हेतु हल्का पटवारी रोणिजा के पास गये तब हल्का पटवारी द्वारा उक्त गलत इन्द्राज होने की बात कहने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई एवं हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त इन्द्राज सही होने पर ही आपके नाम फोती नामान्तरण खोला जा सकता है, तब प्रार्थीगण उक्त इन्द्राज को सही करवाने हेतु तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 05.01.2025 को इन्कार कर दिया, यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो में दर्ज प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति का दर्ज नाम केलाश के स्थान कल्याण दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाकर सही नाम कल्याण दर्ज करवावे। भूमिया ग्राम रोण्जिा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निध् र्गारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि भूमि खाता संख्या नया 347 पुराना 328 ख. सं. 1298/1885, 1727,1728,1729,1730,1730/1862 कुल किता 6 कुल रकबा 1. 9182 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 81 पुराना 150 ख.स. 663 रकबा 0.0405 गे. मु.चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.0405 हैक्टेयर वाके ग्राम रोणिजा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व पति का नाम केलाश के स्थान पर कल्याण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/815 दिनांक :–26.05.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम रोणीजा की भूमि 347, 81 में प्रार्थीगण के पिता का नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कैलाश पुत्र भूरा दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 की खाता संख्या 328 में उनके पिता का नाम कल्याण दर्ज है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/सहखातेदारों को उक्त खाता नम्बरों में दर्ज नाम कैलाश पुत्र भूरा व कल्याण पुत्र भूरा एक ही व्यक्ति है। जिनको कैलाश पुत्र भूरा के स्थान पर कल्याण पुत्र भूरा दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता व पति का सही नाम कल्याण पुत्र भूरा है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, जमाबंदी खाता संख्या 321 ग्राम रोणीजा पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति सही का नाम कल्याण पुत्र भूरा दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणीजा के खाता संख्या खाता संख्या 347 के खसरा संख्या 1298/1885, 1727, 1728, 1729, 1730, 1730/1862 कुल किता 6 कुल रकबा 1.9182 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 81 खसरा संख्या 663 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में दर्ज कैलाश पुत्र भूरा के स्थान पर कल्याण पुत्र भूरा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email: sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446